Submitted Late

अनुरोध किया गया है।

फिलहाल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पद का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के साथ नियुक्त आकस्मिक कर्मचारी को पुनरीक्षित वेतनमान में भुगतान करने पर विचार की जाए ।

निर्णय : **तत्काल ऐसे सभी कर्मियों को श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया गया जिससे न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो सके ।**

इसमें से सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों जिन्हें पूर्व से मूल वेतन +महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा था के मासिक भुगतान हेतु समतुल्य **वेतनमान का निर्धारण करने एवं उस पर आने वाले व्यय की** गणना करने हेतु एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया । व्यय की गणना पद के न्यूनतम वेतनमान पर की जायेगी ।

(1) सदस्य-सचिव

(2) सहायक पर्यावरण अभियन्ता (लेखा)

(3) श्री विद्यानन्द सिंह

कार्यावाली संख्या :8 **उद्योगों के संचलनार्थ सहमति अवधि एवं तदनुसार सहमति शुल्क में संशोधन।**

राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या वन पर्या0-29/998-88 (ई)/प0व0 , दिनांक 25-1-12 द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 के तहत स्थानीय निकाय एवं उद्योगों केलिए सहमति शुल्क का निर्धारण तीन (3) वर्षो के लिए किया गया है। तदनुसार पर्षद् मंडल की 93वीं बैठक दिनांक 19-7-12 में लिए गए निर्णयानुसार वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम,1981 के तहत सहमति शुल्क का पुनरीक्षण पर्षद् द्वारा भी तीन वर्षो के लिए किया गया ।

वर्तमान में Ease of Doing Business के अर्न्तगत बिहार राज्य में उद्योगों के संचालन को सुगम करने हेतु सहमति की अवधि पांच (5) वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। पर्षद् को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि देश के अन्य राज्यों में सहमति अवधि 5 वर्ष किया जाना विचाराधीन है। तद के आलोक में पर्षद् के समक्ष संचलनार्थ सहमति (CTO)की अवधि सभी प्रकार के उद्योगों (लाल, नारंगी, एवं हरा श्रेणी)के लिए 5 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें पर्षद् की